न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—40/2012/223 आर.टी.एक्ट (2012/00122)

1. श्रीमती इमरती पुत्री श्री मोडु जी जाति तेली, धर्म पत्नी श्री आनन्द स्वरूप तेली जाति आयु बालिग निवासी मेवाड़ी गेट बाहर, जिला अजमेर। **(फौत)**
   1/1 आनन्द स्वरूप उर्फ आपुलाल वल्द नैनुराम जाति तेली निवासी प्रताप कॉलोनी ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. भंवरू पुत्र मोडू जी जाति तेली निवासी कृषि मण्डी रोड,ब्यावर जिला अजमेर **(फौत)**
   1/1 श्रीमती जीवणी पत्नी स्व0 भंवरलाल
   1/2 श्री कैलाश बालिग पुत्र स्व0 भंवरलाल जाति तेली निवासी शिव वाडी के सामने, कृषि मण्डी रोड, अजमेर
   1/3 श्रीमती प्रेम पत्नी छाटुजी निवासी गागुन्दा तहसील अराई जिला अजमेर
   1/4 श्रीमती कमला पुत्री भंवरलाल पत्नी गोपाल जी जाति तेली निवासी गांव बामन बिरांठीय तहसील रायपुर जिला पाली
2. सुखदेव पुत्र कुन्ना जाति तेली, निवासी गुजरा की हथाई के पास, ब्यावर जिला अजमेर
3. जगदीश पुत्र कुन्ना जाति तेली निवासी सुरज कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर
4. श्रीमती चम्पा पुत्री कुन्ना जी पत्नी रामप्रदसाद जी तेली निवासी बालाजी करी खिडकी गुजरान मौहल्ला ब्यावर जिला अजमेर
5. श्रीमती पानकी पुत्री कुन्ना जी पत्नी रामचन्द्र तेली निवासी नौगृह मंदिर बिचडली मौहल्ला, ब्यावर जिला अजमेर
6. श्रीमती शांति पुत्री कुंन्ना जी पत्नी पुना जी तेली निवासी गांव बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर
7. श्रीमती संतोष पुत्री चान्दु पत्नी पुखराज निवासी प्रताप कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर
8. दयाल पुत्र मंगला तेली निवासी मसूदा रोड शाह जी का बेरा के पास, ब्यावर जिला अजमेर
9. श्रीमती नाथी बेवा मंगला तेली निवासी मेवाडी गेट के अंदर जेन दिवाकर लाईबेरी के पास ब्यावर जिला अजमेर
10. नरेश कुमार पुत्र पुखराज तेली निवासी प्रताप कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर
11. गोविन्द सिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रावत, निवासी गांव सेदरिया तहसील व जिला अजमेर
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार , अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिए उप—पंजीयक, अजमेर।
14. श्री पारस वालिग पुत्र श्रीमती इमरती
15. श्रीमती इन्द्रा वालिग पुत्री इमरती निवासी ब्यावर जिला अजमेर
16. श्रीमती रेणु शर्मा पत्नी कालूराम, जाति ब्राहमण निवासी शिवबाडी, मेवाड मार्ग ब्यावर तहसील व जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2011 उपखण्ड अधिकारी ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 32/2011

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पी.एस.नरूका, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7
3. श्री एस.पी.ओझा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 16
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 12, 13
5. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/4, 2 से 6, 8 से 11, 14 ,15 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–09.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण सांख्या 32/2011 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 30.11.2011 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घघोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत से उक्त वाद बाधित होना मानते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश अंतर्गत अपील दिनांक 30.11.2011 को निरस्त कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार वादीया के पिता मोडू पुत्र सुरजकरण थे जिनका स्वर्गवास होने पर नामांतकरण संख्या 114 दिनांक 30.1.82 को श्री मोडू जी समस्त वारिसान के नाम मय वादीया तस्दीक किया गया, लेकिन अधिकार अभिलेख/वर्किंग जमाबंदी में बरवक्त अमल दरामद सहवन की त्रुटिवश वादीया का नाम दर्ज नहीं हो पाया जिससे विवादित भूमि में निहित वादीया के काश्तकारी स्वत्व कतई समाप्त नहीं होते हैं क्योकि रेस्पोडेंट द्वारा आज दिनांक नामांतकरण संख्या 114 को निरस्त नहीं करवाया गया है, न ही उसे गैर कानूनी सिद्ध किया गया है मात्र अधिकार अभिलेख में सहवन वश दर्ज नहीं होने से वादीया के काश्तकारी स्वत्व समाप्त नहीं होते हैं क्योंकि वादीया की माता भोली का भी स्वर्गवास हो चुका है। ऐसी स्थिति में श्री मोडू के वारिसान में वादीया के सगे भाई कुन्ना जी, चांदू व मंगला तीनों के वारिसान तथा श्री भंवरू एवं वादीया प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है एवं उक्त 1/5 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मोडू जी का स्वर्गवास होते ही वादीया का हिस्सा भी निहित हो गया है। उक्त हिस्से की भूमि वादीया द्वारा आज दिनांक रहन, बेचान, मुन्तकिल अथवा अन्यथा हस्तान्तरण नहीं कि गई है। वादीया द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाद 110/2009 गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया गया था बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीया के सगे भाई हैं व 10 ने वादीया के पक्ष में रूबरू गवाहान दिनांक 21.1.2010 को खसरा संख्या 383 के 1/3 हिस्से बाबत सहमति पत्र एवं इकरारनामा निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दिया एवं वाद पत्र उठाने हेतु कहा, जिससे वादीया विश्वास में आ गई और उक्त वाद को दिनांक 15.2.2010 को उठा लिया अर्थात पूर्व वाद गुणावगुण पर निस्तारित नहीं किया गया लेकिन वाद उठाने के पश्चात भाई के मुकर जाने के कारण जब वादीया ने दुरूस्ती हेतु दिनांक 29.12.2010 को निवेदन किया तो उसने स्पष्ट इंकार कर दिया, तब वादीया ने उक्त वाद संख्या 32/2011 प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्व वाद गुणावगुण पर निस्तारित नहीं किया गया एवं न ही पूर्व वाद में पक्षकारान के हक, अधिकार एवं स्वत्वों का विभाजन

किया गया। पूर्व वाद गुणावगुण पर निर्णित नहीं होने के कारण वर्तमान में वाद में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धात लागू नहीं होता है एवं विधि अनुसार भी नामांतकरण संख्या 114 जो वादीया के नाम तरदीक है आज भी वहाल है। जिसे प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा आज दिनांक चुनौति प्रदान नहीं की गई है जिससे वाद पत्र विधि द्वारा वाधित नहीं है। इतना ही नही स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वाद संख्या 32/2011 वावत वाद कारण उत्पन्न नहीं होने बावत कोई कथन अंकित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वाद संख्या 32/2011 का वाद कारण उत्पन्न होना स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार कर रहा है। जिससे आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20 के अनुसार कतई पारित नहीं किया गया है अत्यंत सूक्ष्म एवं स्केची निर्णय है जिसमें प्रार्थना पत्र एवं जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्य भी पूर्ण रूप से अंकित नहीं किए गए है, न ही आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों पर विवेचन किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2011 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2021(2)डब्ल्यू.एल.सी.(सुप्रीम कोर्ट) सिविल पेज 606, 2021(2)डब्ल्यू.एल.सी.(सुप्रीम कोर्ट) सिविल पेज 187 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 16 ने दौरान जवाब/बहस अपील में कथन किया कि उक्त वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी बावत पूर्व मे वादीया ने प्रतिवादीगण भंवरू वगैराह के नाम से प्रस्तुत किया था, जिस वाद पत्र में वादीया ने धारा 23 नियम 1 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से वाद विड्रो करने का निवेदन किया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने वादीया के वाद पत्र को विड्रो करने की अनुमति प्रदान कर वाद विड्रो किए जाने के पश्चात नया वाद पेश करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी और पत्रावली फैसल शुमार कर माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सहमति पत्र निस्पादित करने बाबत उल्लेखित किया वह सहमति पत्र नहीं होकर इकरारनामा बाबत सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है इस कारण भी वाद कानूनन खारिज होने योग्य है। इस प्रकार मौजूदा वाद पत्र धारा 11 जा0दी0 के सिद्धांत के आधार पर भी खारिज होने योग्य है, चूंकि उपरोक्त वाद की विषय वस्तु बावत वादीया का वाद माननीय न्यायालय में दिनांक 15.2.2010 को मुकदमा नम्बर 110/2009 श्रीमती इमरती बनाम भंवरू वगैराह के नाम से विवादित आराजी का जो फैसल किया जा चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 07 ने जवाब/बहस में कथन किया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 16 के द्वारा की गई बहस को हमारी बहस मानी जावे।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात मोडू जी के निधन होने के पश्चात उनकी विरासत बाबत अपीलांट के हक एवं अधिकारों के निर्धारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित था तथा विवादित आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 110/2009 में अंकित वाद की विषय वस्तु एक ही थी अथवा नहीं थी इसका निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण का जवावदावा प्रस्तुत होने के पश्चात उक्त बिंदु पर तनकियात कायम की जाकर सभी पक्षों का समान सबूत एवं साक्ष्य का

अवसर प्रदान कर उसका निर्णय किया जाना चाहिए था,परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 30.11.2011 को स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद में अंकित आराजीयात बाबत वादीया के हक एवं अधिकारों बाबत राजस्व वाद को साबित करने के अवसर को ही समाप्त कर दिया जो कि विधि विरूद्ध है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 32/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2011 को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 32/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2011 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त राजस्व वाद बाबत दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षों को विचारण न्यायालय में दावे के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पावंद किया जाता है। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.12.2022 को उपस्थिति होने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर